
 आवश्यक जानकारी 

25/02/2025

प्रश्न:- मैं 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो चुका हूँ पेंशन केस भी फाइनल हो चुका है पेंशन केस सबमिट करते समय मैं ने कॉम्प्युटेशन पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया था। सवाल यह है कि क्या मैं अब कॉम्प्युटेशन पेंशन के लिए आवेदन कर सकता हूँ? यदि हाँ तो प्रोसेस बतावे जी।

उत्तर-1 सेवानिवृत्ति तिथि के बाद एक साल तक कॉम्प्युटेशन पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।*

2 एक साल के बाद भी निर्धारित मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर कॉम्प्युटेशन पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।*

3 यदि पेंशन केस ifms3.0 से निर्धारित हुआ है तो कार्मिक की sso id से ifms 3.0 से कॉम्प्युटेशन पेंशन के लिए Revised pension केस ऑन लाइन सबमिट करें एवम कॉम्प्युटेशन पेंशन के ऑप्शन को Yes सलेक्ट करे एवम केस Ddo को फॉरवर्ड करे साथ में कॉम्प्युटेशन पेंशन के लिए निर्धारित फॉर्म एवम सहमति पत्र भर कर अपलोड कर देवे।*

4 फिर Ddo लॉगिन से Revised pension Maker, Chekar एवम Approver Role से प्रोसेस कर Rivesed केस पेंशन विभाग को फॉरवर्ड कर देवे।*

5 यदि पेंशन केस ifpms 2 से निर्धारित हुआ है तो कम्प्युटेशन पेंशन के लिए Revised पेंशन केस ऑफ लाइन पेंशन विभाग को भेजे।*

नोट:- पूर्व में जारी पेंशन किट के अनुसार सम्पूर्ण भुगतान की राशि प्राप्त होने के बाद ही Revised pension केस को प्रेषित करे।

दिलीप कुमार

Rtd-RES

सादड़ी-पाली

एडमिन पैनल

 पे मैनेजर इन्फो 

